आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 27 / 2019–राज्य कर (दर)

शिमला–2, 06 जनवरी, 2020

सं0 ई.एक्स.एन.–एफ(10)–25 / 2019–लूज़.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1 / 2017–राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 जिसे संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ(10)–14 / 2017–लूज के तहत हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में,–

(क) अनुसूची–II – 6% में,–

(i) क्रम संख्या 80कक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 171क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III – 9% में, क्रम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(1)	(2)	(3)
"163ख	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रापाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के पदार्थों से बने व्युतित और अव्युतित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो;
163ग	6305 32 00	फ्लैक्सिबिल इंटरमीजिएट बुल्क कंटेनर्स"।

2. यह अधिसूचना तारीख 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी होगी।

आदेश द्वारा,
संजय कुंडू,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.––प्रधान अधिसूचना सं0 1 / 2017–राज्य कर (दर) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई–गज़ट) में संख्या ई.एक्स.एन.–एफ(10)–14 / 2017–लूज़ के तहत तारीख 30 जून, 2017 को प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14 / 2019 राज्य कर(दर) तारीख 1 अक्तूबर, 2019 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई–गज़ट) में संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ(10)–20 / 2019 के तहत तारीख 03 अक्तूबर, 2019 को प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-25/2019-Loose dated 6-1-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 27/2019-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 06th January, 2020

No. EXN-F(10)-25/2019-Loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, —

A. in Schedule II - 6%, —

(i) S. No. 80AA and the entries relating thereto shall be omitted;
(ii) S. No. 171A and the entries relating thereto shall be omitted;

B. in Schedule III-9%, after S. No. 163A and entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted namely:—

"163B	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods;
163C	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers".

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2020.

By order,

SANJAY KUNDU,
Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal notification No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017 and last amended by Notification No. 14/2019-State Tax (Rate) dated 1st October, 2019 published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-20/2019, dated the 3rd October, 2019.

आबकारी एवं कराधान

अधिसूचना सं. 28 / 2019—राज्य कर (दर)

शिमला—2, 06 जनवरी, 2020

सं0ई.एक्स.एन.—एफ(10)—25 / 2019—लूज.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की